न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्रकूट
जमानत प्रार्थना पत्र सं0—590/2019

मु0अ0सं0—119/2018
धारा—60 आबकारी अधिनियम
थाना कर्वी, जिला चित्रकूट

10.07.2019

आवेदक/अभियुक्त नन्दराम द्वारा मु0अ0सं0—119/2018 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना कर्वी, जिला चित्रकूट में जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर तर्क प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया। उसे फर्जी फंसाया गया है। उपरोक्त तथ्यों पर जमानत की याचना की गई है।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध बाद विवेचना आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त पर जो अभियोग लगाया गया है, वह जमानतीय है। अतएव मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त नन्दराम द्वारा मु0अ0सं0—119/2018 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना कर्वी, जिला चित्रकूट में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0—20,000/—रू0 का व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की दो जमानतें दाखिल किए जाने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

सी0जे0एम0
चित्रकूट।